



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1943 (श10)  
(सं0 पटना 88) पटना, बुधवार, 2 मार्च 2022

(योजना एवं विकास विभाग)  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना  
28 फरवरी 2022

सं० 377—सांख्यिकी संग्रहण नियम 2011 के नियम 3 के उप नियम (2) के तहत पद एवं नियम 4 (2) के अन्तर्गत उसके सांख्यिकीय अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री मनीष शर्मा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को राज्य नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रतियों राज्य सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण की सूचना हेतु भी प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 88-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार सरकार  
(योजना एवं विकास विभाग)  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

संख्या 377... दिनांक 28/02/22

अधिसूचना

सांख्यिकी संग्रहण नियम 2011 के नियम 3 के उप नियम (2) के तहत पद एवं नियम 4 (2) के अन्तर्गत उसके सांख्यिकीय अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री मनीष शर्मा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को राज्य नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रतियाँ राज्य सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण की सूचना हेतु भी प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

विशेष सचिव,  
योजना एवं विकास विभाग,  
बिहार।